बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-प्र०वि०स०-16/2016-6501-6502/वि०स० ।

प्रेषक,

भूदेव राय,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव-सह-अध्यक्ष,
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 21 दिसम्बर, 2016 ई० ।

विषय- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों विनियमन) नियमावली, 2005 में संशोधन अधिसूचना को विधान सभा पटल पर रखने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-327, दिनांक-08.08.2016 के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-62(4) के तहत् बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रति दिनांक-01.12.2016 को माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार विधान सभा के पटल पर रखी गयी ।

अतः उक्त सूचना की प्राप्ति से सभा सचिवालय को अवगत कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(भूदेव राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग
(प्रधान सचिव का कोषांग)
प्राप्ति संख्या 4987
दिनांक 22/12/2016

15

62

पत्रांक :- वि0प0वि0- 96/2016- 2662(3) वि0प0

<u>बिहार विधान परिषद सचिवालय</u>

प्रेषक :-

शम्भू शरण तिवारी
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

सेवा में,

प्रधान सचिव-सह-अध्यक्ष,
बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
श्रम संसाधन विभाग, पटना ।

03 FEB 2017

पटना, दिनांक :- 08.12.2016

विषय :- बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 में संशोधन संबंधी अधिसूचना को सदन पटल पर रखने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक – 328, दिनांक -- 08.08.16 के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो विनियमन) नियमावली 2005 में संशोधन अधिसूचना मा0 मंत्री श्री विजय प्रकाश द्वारा दिनांक – 28.11.2016 को बिहार विधान परिषद् के सदन पटल पर रखा गया ।

कृपया सूचना ग्रहण की जाय ।

विश्वासभाजन
9/12/2016
(शम्भू शरण तिवारी)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्त्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्रदीप कुमार झा	अधिवक्ता, नोटरी, नवगछिया अनु0 न्याया0, जिला-भागलपुर।	13.06.2001	बी0ए0(प्रतिष्ठा) एल0एल0बी0	नवगछिया अनुमंडल	

(सं0 सं0-ए0/नोट-32/97/3929/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

24 जून 2016

एस0ओ0 181, एस0ओ0 180, दिनांक 27 जुलाई 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-32/97/3929/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

24th June 2016

S.O. 180 date 27th July 2016—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pradip Kumar Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2027/J dated **13.06.2001** to practice as notary again for the next five year from **13.06.2016**

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Pradip Kumar Jha	Advocate, Notary, Subdivisional Court, Navgachhiya, D-Bhagalpur	13.06.2001	B.A.(Hons) L.L.B	Navgachhiya Subdivision	

(File no. -A/Not-32/97/3929/J)

By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, *Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar. (Competent Authority)*

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

6 जुलाई 2016

एस0ओ0 182 दिनांक 27 जुलाई 20146—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम ,1996 की धारा 62 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) नियमावली, 2005 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ – (1) यह नियमावली बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2 उक्त नियमावली, 2005 के नियम 251(1) (i) का प्रतिस्थापन–उक्त नियमावली, 2005 के नियम 251(1)(i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"(i) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 60 के अधीन निर्गत निदेश के अनुसार जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा अध्यक्ष नामित नहीं किये जाते हैं तब तक सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पदेन अध्यक्ष होगें।"

(सं० बी0सी0डब्लू0सी0–34/2016 श्र0सं0–259)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमरेन्द्र नारायण मिश्र, अवर सचिव।

6 जुलाई 2016

एस0ओ0 183, एस0ओ0 182, दिनांक 27 जुलाई 2016 का अंग्रेजी भाषा में लिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० बी0सी0डब्लू0सी0–34/2016 श्र0सं0–259)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमरेन्द्र नारायण मिश्र, अवर सचिव।

The 6th July 2016

S.O. 182 date 27th July 2016—In exercise of powers conferred by Section -62 of the Building and other construction workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1996 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rule to amend The Bihar Building and other construction workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2005:-

1. Short title, extent and commencement- 1. These Rules will be called The Bihar Building and other construction workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) Rules,2016

2. It shall extend to the whole of the state of Bihar.

3. It shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2 Substitution of Rule 251 (1) (i) of the said Rules, of 2005 :- the 251 (1) (i) of the Said Rules shall be substituted by the The following:-

" (i) In accordance to the direction issued by the Ministry of Labour and Employment, Government of India under section 60 of The Building and other Construction Worker (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Secretary/Principal Secretary of Labour Resource Department, Government of Bihar will be ex officio Chairperson of The Bihar Building and Other construction workers welfare Board, Labour Resources Department, Bihar, Patna till The Chairperson is nominated by the central Government".

(No.BCWC-34/2016-259)
By order of the Governor of Bihar,
Amarendra Narayan Mishra, *UNDER SECRETARY*

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं
29 जून 2016

सं० 15/औ०–14–09/16–703(15)—औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के नियम–59(1) तथा 67A(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधीन कार्यरत निम्नांकित अनुज्ञापन प्राधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ–5 उल्लेखित स्थान/स्थानों पर अपने ही वेतनमान में प्रभारी सहायक औषधि नियंत्रण के रूप में कार्य करने हेतु स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है:–